



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-30102024-258373
CG-TL-E-30102024-258373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4396]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2024/कार्तिक 8, 1946

No. 4396]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2024/KARTIKA 8, 1946

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 21 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4773(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग – II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), तारीख 16 मई, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), का.आ. संख्या 2014(ई), तारीख 16 मई, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् खंडवा-अकोला आमान परिवर्तन (एमजी से बीजी) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् “दैनिक भास्कर (हिंदी)” तथा “लोकमत (हिंदी)” में 01 जून, 2024 को हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर-V, निर्माण संगठन, सिकंदराबाद द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और बुलडाणा जिले के संग्रामपुर प्र.सोनाला (01) गाँव के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा सक्षम प्राधिकारी, जलगांव जामोद (महाराष्ट्र) के समक्ष कुल 1 आपत्ति प्राप्त हुई है जिसे प्रकरण बद्ध कर निराकरण कर दिया गया है।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करता है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बुलडाणा जिला में भूमि अधिग्रहण के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा सक्षम प्राधिकारी, जलगांव जामोद (महाराष्ट्र) के अंतर्गत संग्रामपुर प्र.सोनाला (01) गाँव में विशेष रेल परियोजना अर्थात् “ खंडवा-अकोला आमान परिवर्तन (एमजी से बीजी) ” हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण ।

1) 1) प्र.क्र.एलएक्यू-47/04/संग्रामपुर प्र.सोनाला/2023-24 (संशोधित संयुक्त गणना प्रक्रिया के अनुसार) धारा 20(ई) अधिसूचना.

गांव – संग्रामपुर प्र.सोनाला

तालुका - संग्रामपुर

जिला - बुलडाणा

क्र.सं.	सर्वे / गट सं.	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र हेक्टेयर में			भूमि अधिग्रहण का प्रस्तावित क्षेत्र संशोधन संयुक्त गणना प्रक्रिया के अनुसार (हेक्टेयर में)			7/12 के अनुसार भूमिधारक का नाम
		कृषि योग्य भूमि	कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि	कुल क्षेत्र	कृषि योग्य भूमि	कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि	कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	
1	38	1.85	0.00	1.85	0.62	0.00	0.62	पंढरी पांडुरंग राऊत
2	39	0.81	0.00	0.81	0.36	0.00	0.36	आदिक अविनाश राऊत एपीके माता : ज्योति अविनाश राऊत
कुल					0.98	0.00	0.98	

[फा. सं. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20E/211024]

हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-V)

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 21st October, 2024

S.O. 4773(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 2014 (E) dated the 16th May 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section(ii), dated the 16th May 2024 (here in after referred to as the said notification) and issued under sub-section(1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989(24 of 1989), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Khandwa - Akola Gauge Conversion (MG to BG) in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Dainik Bhaskar (Hindi) and Lokmat (Hindi)” on 01st June 2024 by Hemant Kumar Bhagoria, Chief Engineer-V, Construction Organization Secunderabad under sub section(4) of section 20A of the said Act;

And whereas, for Sangrampur Pr.Sonala (01) Village of Buldhana district 1 Objection received to the Sub Divisional Magistrate (Revenue) and Competent Authority Jalgaon Jamod (MH) which have been disposed off by filling case.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

– “ Khandwa - Akola Gauge Conversion (MG to BG) ” in Sangrampur Pr.Sonala (01) Village of Buldhana District, under Sub Divisional Magistrate and Competent Authority, Jalgaon Jamod (M.H.); for Land Acquisition in the State of Maharastra. Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling with in the Special Railway Project.

LAQ NO.LAQ-47/04/ Sangrampur Pr.Sonala/2023-24 (As per Revised Joint Measurement Report)

Name of Village – Sangrampur Pr.Sonala					Tq- Sangrampur			Dist- Buldana
S. No.	Serve/ Gut No.	Total Area as per 7/12 H.R.			Propose Of Land Acquire As per Revise join Measurement H.R.			Name Of Land Holder as per 7/12
		Area Under Cultivation	Area Unfit for Cultivation	Total Area	Area Under Cultivation	Area Unfit for Cultivation	Total Area (Ha)	
1	38	1.85	0.00	1.85	0.62	0.00	0.62	Pandhari Pandurang Raut
2	39	0.81	0.00	0.81	0.36	0.00	0.36	Advik Avinash Raut APK mother Jyoti Avinash Raut
Total					0.98	0.00	0.98	

[F. No. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20E/211024]

HEMANT KUMAR BHAGORIA, Chief Engineer (Con-V)